

फर्द अहकाम

बनाम

कन्हैयालाल

केशव

आज्ञा या
पर्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील डा. रमेश
वदम वकील डा. रमेश अस्थाई निवेदाज्ञा
सुनी गई। वदम वकील डा. रमेश व
पत्रावली का ग्रथ दस्तावेज प्रतिलिपि
करने पर डा. रमेश की ओर से पेश
आपत्र अस्थाई निवेदाज्ञा स्वीकार
किया जाना इच्छित उत्तर नहीं होता
है। अतः डा. रमेश की ओर से पेश
आपत्र अस्थाई निवेदाज्ञा दाखिल
का खारिज किया जाता है।
पत्रावली दर्ज नम्बर के अन्त
द्वारा दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)